[10/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2812]

परिशिष्ट - अ
प्र. क्र. 2812

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

क्रमांक एफ-6-75/2019/सात/शा.3

भोपाल, दिनांक 30../6../2023

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः राजस्व वन भूमि (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल) के भूखंड अधिभोगियों को भूखंड आवंटित करने के पूर्व निर्वनीकरण की कार्यवाही हेतु।

संदर्भः 1. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं 28 अक्टूबर, 2021 तथा दिनांक 8/11/2021 ।

2. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 16-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13 जनवरी, 1997 ।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवार को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन के दिशा निर्देश मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के भाग चार – आबादी के नियम 12 के उपनियम (5) के अंतर्गत परिपत्र क्रमांक एफ-2-13/2021/सात-7 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 दिनांक 8/11/2021 जारी किये गये हैं।

2/ नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के नगरीय क्षेत्रों में भूखंड के अधिभोगियों को स्थाई पट्टे/भूमिस्वामी अधिकार पत्र मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना द्वारा पात्र अधिभोगियों को धारणाधिकार के संबंध में परिपत्र एफ-6-75/2019/सात/शा.3 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 दिशा निर्देश अंतर्गत स्थायी पट्टे/भूमिस्वामी अधिकारिता में प्रदत्त किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

3/ संदर्भित परिपत्र क्रमांक दो में अवगत कराया गया है कि विविध याचिका क्रमांक 202/95-श्री गोदवर्मन विरूद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में "वन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-

1. "वन" का तात्पर्य शब्दकोष में दिये गये अर्थ से लिया जाना है।
2. "वनभूमि" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि से है जो कि शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" है।
3. उपरोक्त में ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि शासकीय अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो।

शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" का तात्पर्य ऐसे वृहद् क्षेत्र से है जहां खेती नहीं होती हो और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो, निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर एवं उससे बड़े चक को, जहां औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर हैं, उसे "वन" माना जाये।

4/ राज्य के कतिपय जिलों में राजस्व भूमि, जो कि छोटे बड़े झाड़ की नोईयत में दर्ज होने के कारण वन भूमि की परिभाषा में आती है, पर कुछ भूखण्ड अधिभोगियों के आधिपत्य में चले आ रहे है, किन्तु ऐसे भूमियां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभाव में होने से अधिभोगियों को भूखण्ड आवंटित करने में विधिक कठिनाई है। ऐसे मामलों में भारत सरकार के समय-समय पर जारी किए

निरंतर..........

गए निर्देशों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति वनीकरण (वैकल्पिक वनीकरण) के लिए भूमि आरक्षित करते हुए ऐसी वन भूमि अधिभोगियों को आवंटित की जा सकती है।

अतएव आप अपने जिले के छोटे-बड़े झाड़ की नोईयत में दर्ज क्षेत्र में स्थित ऐसे भू-भाग जहाँ सामान्यतया 20 से अधिक परिवार आवास के लिए भूखण्डों पर आधिपत्य पर रहते हुए अधिभोग में है,को चिन्हांकित कर सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में ऐसे भू-भाग के प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करें और ऐसे भू-भाग को निर्देशों के अनुक्रम में पृथक आरक्षित करें। निर्वनीकरण की कार्यवाही उपरांत संदर्भित परिपत्रों के अनुसरण में कृपया भू-खण्ड अधिभोगियों को विधिवत् भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाये।

जहाँ 20 से कम परिवार ऐसी भूमियों पर अधिभोग में हैं,उन्हें ऐसे क्षेत्र से विस्थापित कर कृपया वैकल्पिक दखलरहित भूमि पर पुनर्वासित करने की कार्यवाही करें।

(मनीष रस्तोगी) 30/6/23
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ-6-75/2019/सात/शा.3 भोपाल, दिनांक ...../...../2023

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव 30/6/23
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग